कार्यालय— नगर परिषद, बड़हिया (लखीसराय)

पत्रांक— 687 / दिनांक— 28-04-2026

प्रेषक :— कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, बड़हिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
पटना, बिहार।

विषय :— पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना सं0—03/2026—27 के प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कार्यालय नगर परिषद्, बड़हिया द्वारा पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना सं0—03/2026—27 को दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी,
28/4/26 नगर परिषद्, बड़हिया (लखीसराय)

निविदा आमंत्रण सूचना प्रारूप (Eproc-2.0 के माध्यम से)

कार्यालय का नाम

नगर परिषद्, बडहिया (लखीसराय)

पुर्ननिविदा आमंत्रण की सूचना (ई–टेडरिंग द्वारा www.eproc2.bihar.gov.in.)

संख्या– NIT No- 03/2026-27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता — नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, बड़हिया।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि – दिनांक–29.04.2026
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय — दिनांक–14.05.2026 से दिनांक–29.05.2026 के.15:00 बजे तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
4. प्री बीड मीटिंग की तिथि एवं समय एवं स्थान — दिनांक–15.05.2026 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न कार्यालय नगर परिषद्, बड़हिया
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि – दिनांक–.30.05.2026 समय 15:00 बजे तक (www.eproc2.bihar.gov.in)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि — दिनांक–01.06.2026 समय 11:00 बजे
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि— तकनीकी बीड में सफल होने के उपरान्त निर्देशानुसार

8. **कार्य की विवरणी–**

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (online के माध्यम से) Website:- www.Eproc2.bihar.gov.in	परिमाण विपत्र का मूल्य (online के माध्यम से) Website:- www.Eproc2.bihar.gov.in	Bid Processing fee (Through Online Payment हेतु प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य समाप्त की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
01	नगर परिषद बड़हिया के अंतर्गत कुल–01से 26 वार्डो में 120 वाट के 130, 90 वाट के 778 एवं 70 वाट के 388 अर्थात कुल 1296 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट (सभी अनुपूरक सामग्री सहित) के अधिष्ठापन एवं रखरखाव कार्य	1,38,17,902.00	2,76,500.00	10000.00	As per Beltron	90 दिन

नोटः– Bidders Should submit Bid Processing fee thorugh Online Payment as per Amount generated on Website www.eproc2.bihar.gov.in

09. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)

10. निविदा कागज़ात अपलोड करने के पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
    (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/ Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holiday or any other reasons

11. संवेदक का राज्य सरकार के किसी कार्य विभाग में ठेकेदार निबंधन नियमावली के अधीन समुचित श्रेणी में निबंधन होना चाहिए।

12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in मे देखा जा सकता है।

13. ई–टेन्डरिंग के प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हें (उपयोगकर्त्ता का नाम) User ID, (पासवर्ड) Password एवं (अंकीय हस्ताक्षर) Digital Signature निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ ई–टेन्डर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

14. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरुपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

15. परिमाण विपत्र

(i) उपर्युक्त निविदा में परिमाण विपत्र का मूल्य E-Payment mode (i.e Credit/Debit Card and Net Banking) के माध्यम से भुगतेय हो, जमा किया जाना है।

(ii) **अग्रधन की राशि**

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी, जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि E-Payment mode (i.e. Credit/Debit card and Net Banking अथवा Electronic Bank Guarantee (e-BG) के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नही होगा।

16. (A) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले निम्नलिखित कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/ कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति एवं विगत 3 वर्ष का I.T.R एवं Turnover

(घ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन जमा प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ङ) कार्य के अनुरूप अग्रधन राशि, Tools एवं Plants तथा Key Personnel की शपथ–पत्र। (निविदा प्रकाशन के पहले कार्यालय इसकी सूचि तैयार करेगें।)

(च) चरित्र प्रमाण पत्र (एकरारनामा के समय भी दिया जा सकता है/गृह विभाग, बिहार की अद्यतन अधिसूचना के अनुरूप)

(B) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment (On Going) कार्यो की राशि सहित सूची देनी अपलोड करना है।

(C) घोषणा प्रमाण–पत्र (मूल में) /(शपथ–पत्र मूल में) (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)...सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि :–

(क) मेरे/ हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक **वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित** (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/ हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल नगर निकाय के कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल कार्यो के रुप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागज़ात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

उपर्युक्त कंडिका "क" "ख" "ग" एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होंगा। चूँकि संवेदको का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संवेदकों को बिहार P.W.D. Code के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्ते संवेदक को मान्य हो, तभी वो निविदा डाले।

(D) संवेदक के पास संबंधित कार्य के अनुरूप यंत्र–संयंत्र का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनो को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र–संयत्र स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा । अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

(E) बिटुमिनश पथ के कार्यों में प्रयुक्त होनेवाले 60/70, 30/40, 80/ 100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्त्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Paver Finisher, Bitumin sprayer, air compresor, Tipper and lab equipments आवश्यक है, जो स्वयं अथवा किराये पर हो सकता है, परन्तु त्तसंबंधी प्रमाणक एवं आवश्यक शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कंडिका "क" "ख" "ग" एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कोई अभिलेख

असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होंगा। चूँकि संवेदको का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, फलस्वरूप संवेदकों को बिहार P.W.D. Code के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। यदि यह शर्ते संवेदक को मान्य हो, तभी वो निविदा डाले।

(F) यह स्पष्ट किया जाता है कि निविदा के सभी कागजात Website (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। संवेदक Scan कर कागजातो पर अपलोड करने के पूर्व सूचिबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेगें ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके।

(D) प्रतिशत दर निविदाः

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रुप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ग) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(घ) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

(ङ) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए ली जाय।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

17. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/ किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/ अंशो को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. **निविदा निष्पादनः**

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या–17 के अनुसार कोई भी कागज़ात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ यदि आवश्यकता हुई तो (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

(4) i. प्रथम बार Single Tender प्राप्त होने पर पुनः निविदा की जाएगी।

ii. पुनः निविदा में Single tender एव BOQ से 10% से अधिक दर वाली निविदा पर निर्णय सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

19. **एकरारनामा :**

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका–23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट के आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जानेवाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

(घ) एकरारनामा से पूर्व संवेदक को अपना आचरण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार (SP/DM) द्वारा निर्गत समर्पित करना होगा।

20 **अन्य शर्त्ते**

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरुपण में परिर्वतन किया जा सकता है। उपरोक्त शर्त्तों के अतिरिक्त परमाण विपत्र (B.O.Q.) की राशि 25.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्त्तों का अनुपालन करना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

21. कार्यसमाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से रख–रखाव की अवधि 60 माह (05 वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही जमानत की राशि एवं अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) विमुक्त की जायेगी।

22. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

23. 25.00 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को दो बीड यथा एक वित्तीय बीड एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होगें उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।

24. 25.00 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के 50% की राशि का भुगतान प्रमाण–पत्र होना चाहिए अथवा विगत पाँच वर्षों में किसी एक वर्ष में निविदा मूल्य के एक 25% मूल्य के बराबर समरुप कार्य का भुगतान प्रमाण–पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, GST, Royalty, Net Payment, Gross Payment दर्शाया गया हो। निविदा का मूल्यांकन संवेदक सभी अनुमान्य कटौतियो के पश्चात् शुद्ध भुगतान (Net Pay) के आधार पर किया जायेगा।

25. 50.00 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र–सयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागज़तों को भी संलग्न करना होगा।

26. 50.00 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम से कम एक डिप्लोमा (कार्य क्षेत्र से संबंधित) एवं एक डिग्री (कार्य क्षेत्र से संबंधित) अभियंता होना चाहिए। तत्सम्बन्धी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ--पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्त्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री/डिप्लोमा अभियंता एक ही निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री/डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकारों के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देगें तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

27. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तो की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं की पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय यथाः– नगर आयुक्त/कार्यपालक अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/नगर विकास प्रमंडल/नगर परिषद्/नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।

28. Payment will be made only after allotment remains in the above schemes.

29. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

30. Bidder will ensure minimam 1 techical team (1 Technician+ 2 labours) and 1 supervisor per Group.

31. The bidder shal provide 24*7 toll free number in their concerned office on weekly basis.

32. The bidder shall maintain daily log book for repaire works orf Led street lights in maintenance period and verify it by concerned junior engineer on daily basis and concerned nodal officer .

33. The bidder shall rectify LED light Faults within 72 hours of intimation, failing which a penalty of Rs 25 per day per light shall be deducted for bidder's bill payment.

34. The bidder shall mark all the poles where street light to be installed after the allotment of tender within 07 days.

35. The bidder shall provide 24 hrs service in special occasion like Chhat festival, Durga puja, Diwali, Muharram, other festivals etc.

36. The period of contract shall **be 05 years** after the installation period of street light The maintenance periods can be Extended as per the requirement depending upon the satisfactory service provided by the firm.

37. The bidder shall provide daily night patrolling of every street lights shall be checked of atleast once each month and provide written report to the concerned nodal officer.

38. The bidder shall have to keep vehicles for reparing of street lights (e.g Skylifter). No extra payment will be made for this.

39. Affidavit of Rs 1000 on-judicial stamp paper for non blacklisting/debarred from executive Magistrate (Affidavit must be issued after date of bid publication)

40. Bidder must have to submit its ISO certificate for occupational health and safety, environment management certificate, Quality management certificate.

41. Bidder must have average turnover of RS 1.00 Crore for financial years 2022-23, 2023-24,2024-25. A certificate from the Charterd Accountant with UDIN indication the turnover details for the above said period shall be uploaded with the bid.

42. OEM turnover should be minimum 05 crores for last three financial years/

43. Bidder must have to submit valid OEM authorisation certificate alongwith the bid

44. Street light supplied must be of reputed Indian brands like Bajaj,Philis,Havells,Crornpton,Surya, Jaquar etc

45. While submitting tender bidder should clearly mention the make/type.brands of each accessories to be supplied clearly. The bidder should also submit NABL/any Govt Athorised agency test report of the items being supplied.

46. The items to be supplied should be of BIS make.

47. Successful bidder should complete the installation of lights within the stipulated period otherwise a delay charge of 10 percent will be deducted from the invoice at the time of payment.

48. During the maintenance period of five years successful bidder will have to rectify the complain within 72 hours of complain received, Failing which penalty will be imposed as per the guideline of UD&HD ,Bihar (**Rs25 per light/per day)** .

49. Bidder should submit an escalation matrix/Toll free /Helpline no , Staff chart of the technical team with quaifications along with the Bid.

50. Successful Bidder should have to establish an office at barahaiya municipal area during operation and maintenance period.

51. As per bihar Purchase policy 2024, the bidders would be given preference accordingly

52. Undertaking of Local service center in state of bihar along with address proof should be submitted on company's letter head

53. In the unlikely event of the server of www.eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving times stipulated in the original NIT.

54. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission and they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

55. The bidders must use eproc-2 Compatible MS Office version of required size and should be in M.S Word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.

56. No claim shall be entertained on account of description of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.

57. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

58. As per RCD letter no-7482 (S) Dated-28.12.2023 if any bidder withdraws it bid during bid validity period, The EMD will be forfeited and accordingly action can be taken as per clause of 11 (d) (II) and (x) of Bihar contractor registration rules 2007.

59. Bids from joint ventures are not allowed for this work as per RCD Bihar, Patna letter no-8131 (s) Dated- 24.07.2012

60. Corrigendum/ addendum, if any, will be published on the eproc 2.0 only.

61. Bid evaluation will be done on the basis of uploaded document on e-proc 2.0 only.

62. निविदा मद में आवंटन उपलब्ध रहने पर ही एकरारनामा एवं भुगतान किया जायेगा। इसके लिए निविदादाता द्वारा कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा।

डेजी कुमारी
सभापति,
नगर परिषद् बड़हिया (लखीसराय)

कार्यपालक पदाधिकारी,
28/4/26
नगर परिषद् बड़हिया (लखीसराय)

ज्ञापांक 688 /

दिनांक 29-04 / 2026